डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2001—श्रावण 26, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 397/1627/सा.प्र.वि./2001.—श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से. (1994) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ उप-प्रशासक, राजधानी परियोजना, रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 378/1276/सा.प्र.वि./2001/लीव(आई.ए.एस.).—श्री एस. के. बेहार, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 28 मई से 8 जून 2001 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार को आगामी आदेश तक उप-सचिव के पद पर वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री बेहार, को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने कार्य पर उपस्थित रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 381/1002/सा.प्र.वि./2001/लीव/(आई.ए.एस.).—डॉ. बी. एस. अनंत, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, को दिनांक 1-3-2001 से 29-3-2001 (29 दिनों) तक का अर्जित अवकाश इस समझाईश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में बिना अनुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनंत को आगामी आदेश तक उप-सचिव के पद पर खनिज साधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री अनंत को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 386/582/सा.प्र.वि./2001/लीव(आई.ए.एस.).—श्री विकास शील, कलेक्टर, कोरिया बैकुण्ठपुर (छ. ग.) को दिनांक 23-3-2001 से 6-4-2001 तक 15 दिन का पितृत्व (Paternity Leave) अवकाश तथा 7-4-2001 से 12-4-2001 (6 दिनों) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विकास शील को आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री विकास शील को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विकास शील के अवकाश की अवधि में उसका कार्य श्री गौरव द्विवेदी (आई.ए.एस.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 389/1338/सा.प्र.वि./2001/लीव.—श्री सुब्रत साहू, कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 14-5-2001 से 26-5-2001 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 27-5-2001 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रत साहू को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर जिला सरगुजा में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सुब्रत साहू के अवकाश की अवधि में उसका कार्य श्रीमती मनिन्दर कौर, अपर कलेक्टर, सरगुजा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 391/1559/सा.प्र.वि./2001.—श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993), कलेक्टर, महासमुंद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदेन उप-सचिव, आई. टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 395/1545/2001/सा.प्र.वि./2, 5, 6.—श्री एस. के. ओझा, भा.व.से. (1989) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग की सेवाएं तत्काल प्रभाव से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस ली जाकर, उनके पैतृक विभाग (वन विभाग) को लौटायी जाती है.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2001

क्रमांक 4389/सा.प्र.वि./2001/लीव/(आई.ए.एस.).—श्री ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 28-8-2001 से 3-7-2001 (6 दिवस) तक लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

लो. नि. आवास, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2001

क्रमांक एफ 3-1/न.प्र./2001.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार नगरपालिकाओं में उनके सम्मुख दर्शित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से "एल्डरमैन" नामांकित करता है.

अ.क्र. (1)	नगरपालिका का नाम (2)	एल्डरमैन का नाम (3)
1.	भाटापारा	1. श्री मोतीराम यदु 2. श्री सुधेराम वर्मा 3. श्रीमती सरोज मसीह 4. श्री अब्दुल रसीद चौहान
2.	गोबरा नवापारा	1. श्रीमती वंदना शर्मा 2. श्री रमेश वैष्णव 3. श्री मोहम्मद बिलाल अहमद 4. श्री प्रेमलाल साहू
3.	तिल्दा नेवरा	1. श्री संजय बेक 2. श्री गिरधारी तेजवानी 3. श्री अजय तिवारी 4. श्री किशोर सेतपाल
4.	धमतरी	1. श्री गौरीशंकर पाण्डे 2. श्रीमती निर्मला चंद्राकर 3. श्री विल्सन सोनवानी 4. श्री शरद लोहाना
5.	महासमुंद	1. श्री विष्णु चन्द्राकर 2. श्री हरदेव सिंह 3. श्री अजय साहू 4. श्रीमती प्रमिला शुक्ला
6.	जगदलपुर	1. श्री कालाराम चौधरी 2. मो. हनीफ कुरैशी 3. श्री भूपेन्द्र कुमार आनंद 4. श्री संजीव शर्मा
7.	कोण्डागांव	1. श्री बाबूलाल वासनीकर 2. श्री लक्ष्मण देवांगन 3. श्री शहजाद हुसेन अंसारी 4. श्री प्रेम बक्शी
8.	किरंदुल	1. श्री वृंदावन मलिक 2. श्री अरविंद लाल 3. श्रीमती लक्ष्मीबाई 4. श्री रमेश पात्रो
9.	कांकेर	1. डॉ. श्यामलदत्ता राय 2. श्री अजय जैन 3. श्री विष्णु शर्मा, अधिवक्ता 4. श्री मुश्ताक अहमद
10.	डोंगरगढ़	1. श्री नवाज खान 2. श्री विजय अग्रवाल 3. श्री एडविन हैदर 4. श्री पारस चौरड़िया
11.	कवर्धा	1. श्री मुराद खान 2. श्री महासिंह उइके 3. श्री रघुवीर पाहूजा 4. श्री विमलचंद जैन
12.	दल्ली राजहरा	1. श्री महेश ढोले 2. श्रीमती लता जैन 3. श्री सुनील कुमार साहू 4. श्रीमती शिरोमणी माथुर
13.	भिलाई चरौदा	1. श्री सुखदेव सिंह सिद्ध 2. श्री शिवचरण अग्रवाल 3. श्री अशोक डोंगर 4. श्री संजय जोगी
14.	मुंगेली	1. श्री जवाहर सोनी 2. श्री नरेन्द्र राजपूत 3. श्री अनिल माखीजा 4. श्री झम्मन साहू

(1)	(2)	(3)
15.	रायगढ़	1. श्री सतपाल बग्गा 2. श्री प्रफुल्ल उपाध्याय 3. श्रीमती चतुरबाई 4. श्री दयाराम ध्रुव
16.	जांजगीर-नैला	1. श्री रामचन्द्र राठोर 2. श्रीमती टी. आसना 3. श्री मोहन अग्रवाल 4. श्री जुनेत खान
17.	चांपा	1. श्री शिव कुमार तिवारी 2. श्रीमती सुशीला लाल 3. डॉ. लखन देवांगन 4. श्री इब्राहिम मेमन
18.	अम्बिकापुर	1. श्रीमती रेवा सिंह 2. श्री अतुल सिंह 3. श्री सी. आनन्दन 4. श्री गोपाल केसरवानी
19.	मनेन्द्रगढ़	1. श्रीमती भारती चावड़ा 2. डॉ. ल्यू 3. श्री शमशुद्दीन 4. श्री केशव पोद्दार

क्रमांक F 3-1/ न. प्र./2001.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम,1956 की धारा 9 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार नगर पालिक निगमों में उनके सम्मुख दर्शित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से "एल्डरमैन" नामांकित करता है.

अ.क्र. (1)	नगर पालिक निगम का नाम (2)	एल्डरमैन का नाम (3)
1.	रायपुर	1. श्री मधु नायक 2. श्रीमती सइदा बेगम 3. श्रीमती पार्वती साहू 4. श्री सूर्यकांत तिवारी 5. श्री गिरधर माखीजा 6. श्री सुब्रत डे
2.	दुर्ग	1. श्री रूप कुमार महिकवार (लोधी). 2. श्री प्रवेश साहू 3. श्री दिलीप बाकलीवाल 4. श्री गया पटेल 5. श्री हामिद अहमद 6. श्री बसंत खिलाड़ी
3.	भिलाई	1. श्री दीपक क्लाडियस 2. श्री शिवनाथ शुक्ला 3. श्री रतनलाल बंजारे 4. श्री नजमू निशा 5. श्री रामा विश्वकर्मा 6. श्री हाजी आशिफ खान
4.	बिलासपुर	1. श्री विपिन मेहरा 2. श्री बसंत पहारे 3. श्री श्याम गुलहरे 4. श्री अब्बास भाई 5. श्री पंकज सिंह
5.	कोरबा	1. श्री सुरेश सहगल 2. श्री दीपक कुमार 3. श्री राम सनेही गुप्ता 4. श्री एस. डी. सिंह 5. श्री गामानंद ठाकुर 6. श्री गोपाल कृष्ण साहू
6.	राजनांदगांव	1. श्री राजेन्द्र व्यास 2. श्री मंसूर पाशा 3. श्री बनार्ड फ्रांसिस 4. श्री सुरेन्द्र सिंह 5. श्री रामभरोसा ठाकुर 6. श्री रूपेश पटौदी

रायपुर, दिनांक 15 जून 2001

क्रमांक F 3-1/ न. प्र./2001.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार नगर पंचायतों में उनके सम्मुख दर्शित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से "एल्डरमैन" नामांकित करता है.

अ.क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम (2)	एल्डरमैन का नाम (3)
1.	बलौदाबाजार	1. डॉ. के. के. साहू 2. श्री शैलेष नितीन त्रिवेदी
2.	आरंग	1. श्री रहमत उल्ला खान 2. श्री बी. के. भारद्वाज
3.	सिमगा	1. श्री दीनबंधु शर्मा 2. श्री शिव कुमार तम्बोली

(1)	(2)	(3)
4.	भटगांव	1. श्री गोविंद शर्मा 2. श्री मंगल देवांगन
5.	कुरुद	1. श्री चन्द्रहास साहू 2. श्री बसंत सिन्हा
6.	पिथौरा	1. श्री अजीत सिंह खनूजा 2. श्री संजीव तिवारी
7.	सरायपाली	1. श्री जगत नारायण अग्रवाल 2. श्री सौभाग्य कानूनगो
8.	दंतेवाड़ा	1. श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव 5. श्री सुकूराम कर्मा
9.	खैरागढ़	1. श्रीमती पार्वती यादव 2. श्री कन्हैया पोटानी
10.	छुईखदान	1. श्री संजीव दुबे 2. श्री नीरज दुबे
11.	गण्डई	1. श्री अयूब खान 2. श्री नरेश अग्रवाल
12.	अम्बागढ़ चौकी	1. श्रीमती उर्मिला पटेल 2. श्री रविशंकर खण्डेलवाल
13.	डोंगरगांव	1. श्री शिव वैष्णव 2. श्रीमती अरुणा वैष्णव
15.	पंडरिया	1. श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान 2. श्री ढेलउराम श्रीवास
16.	बेमेतरा	1. श्री फणीन्द्र मिश्र 2. डॉ. चेतन वर्मा
17.	बालौदा	1. श्री धन्नूलाल चौधरी 2. श्री देवेन्द्र सिंह
18.	धमधा	1. श्री दीनबन्धु सोनकर 2. श्रीमती बिन्दु यादव
19.	पाटन	1. श्री दर्शन सिंह 2. श्री शीतल पटेल
20.	अहिवारा	1. श्री अरुण कुमार साहू 2. श्री प्रमोद श्रीवास्तव
21.	कुम्हारी	1. श्री राधेलाल साहू 2. श्री हसन खान
22.	खम्हरिया	1. श्री महेन्द्र सिंह बिरदी 2. श्री जितेन्द्र उपाध्याय
23.	जामुल	1. श्री भागवत ताम्रकार 2. श्री प्रदीप सिंह
24.	कोटा	1. श्री शारदा मिश्रा 2. श्री गणेश साहू
25.	तखतपुर	1. श्री धनेश गुप्ता 5. श्री दौवाराम बैनेट
26.	बोदरी	1. श्री लक्ष्मीनारायण दुबे 2. डॉ. बाधवानी
27.	बिल्हा	1. श्री सुरेश केडिया 2. श्री अशोक बग्गा
28.	रतनपुर	1. श्री रुद्र गुप्ता 5. श्री दामोदर सिंह
29.	लोरमी	1. श्री पुर्नवस केसरवानी 2. श्री दिनेश शर्मा
30.	गौरेला	1. श्री मुरारीलाल अग्रवाल 2. श्री ताहिर अली
31.	पेन्ड्रा	1. श्री ओमप्रकाश जायसवाल 2. श्री कृष्ण कुमार मिश्रा
32.	सारंगढ़	1. श्री घनश्याम अग्रवाल 2. श्री भगदनलाल जांगड़े
33.	खरसिया	1. श्री मांगेराम अग्रवाल 2. मो. जमील कुरैशी
34.	धरमजयगढ़	1. श्री सत्यनारायण शर्मा 2. श्री कृष्ण मोहन राठिया
35.	घरघोड़ा	1. श्री ऋषि मित्तल 2. श्री किरोड़ी तायल
36.	जशपुरनगर	1. श्रीमती किरण सिंह 2. श्री विनोद जैन

(1)	(2)	(3)
37.	पत्थलगांव	1. श्री सिंदर सिंह भाटिया 2. श्री गणेश प्रसाद शर्मा
38.	सक्ती	1. श्री हरिसिंह सिदार 2. श्री नरेश सेवक
39.	बाराद्वार	1. श्रीमती कांतिदेवी 2. श्री मनमोहन सिंह अग्रवाल
40.	बलौदा	1. श्री रामदास देवांगन 2. श्री रज्जाक खान
41.	खरौद	1. श्री बसंत यादव 5. श्री रवि सौरा
42.	शिवरीनारायण	1. श्री नारायण खंडेलिया 2. श्री मनोज यादव
43.	अकलतरा	1. श्री अशोक अग्रवाल 2. श्री भविष्य चन्द्राकर
44.	कटघोरा	1. श्री सुधीर मिश्रा 5. श्री शेख इस्तियाक
[illegible]	[illegible]	[illegible] 2. डॉ. मुमताज
46.	सूरजपुर	1. श्री रामहित राजवाड़े 2. श्री ललन सिंह
47.	बैकुन्ठपुर	1. श्री रहमान खान 2. श्री शंकर लाल गुप्ता
48.	झगराखण्ड	1. श्री पी. के. राय 2. श्री वशिष्ठलाल श्रीवास्तव

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक एफ 3-1/न. प्र./2001.—विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 3-1/न.प्र./2001, दिनांक 15-6-2001 जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (2) के अधीन नगर पंचायतों में एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित है में आंशिक संशोधन करते हुए अनुक्रमांक-16 में दर्शित नगर पंचायत बेमेतरा के लिए एल्डरमैन के रूप में डॉ. चेतन वर्मा का किया गया मनोनयन का आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक एफ 3-1/न. प्र./2001.—विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 3-1/न.प्र./2001, दिनांक 15-6-2001 जो कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 (1) के अधीन नगर पालिक निगमों में एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित है में आंशिक संशोधन करते हुए अनुक्रमांक-4 (3) में श्री श्याम गुलहरे के स्थान पर श्री विश्म्भर गुलहरे एतद्द्वारा स्थापित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक एफ 3-1/न. प्र./2001.—विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 3-1/न.प्र./2001, दिनांक 15-6-2001 जो नगर पालिका निगम दुर्ग में "एल्डरमैन" की नियुक्ति से संबंधित है में आंशिक संशोधन करते हुए अनु. क्र. 2 (2) में श्री प्रवेश साहू के स्थान पर श्री प्रकाश साहू एतद्द्वारा स्थापित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक एफ 3-1/न. प्र./2001.—विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 3-1/न.प्र./2001, दिनांक 15-6-2001 द्वारा नगरपालिका परिषद् कांकेर में सरल क्रमांक 9 (3) में श्री विष्णु शर्मा, [illegible] "एल्डरमैन" [illegible]

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 1150 / एफ-10 /227 /2001/ वा. क./पांच (21).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1)एवं (2) के खंड (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के (जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद एवं धमतरी जिलों में) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियम 2001 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, यथा :

संशोधन

उक्त नियमों में

1. नियम 7 (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 7 (क) स्थापित किया जावे :

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लायसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लायसेंस प्राधिकारी लायसेंस हेतु आवेदन-पत्र प्रतिदिन प्राप्त करेंगे.

2. नियम 7 (घ) विलोपित किया जाय.

3. नियम 9 (दो) में शब्द समूह ''आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी'' के स्थान पर शब्द समूह ''कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 25th June 2001

No. 1150/F-10/227/2001/CT/V (21).—In exercise of the powers conferred by clause (d) (e) (f) (g)and (h) of sub-section (1) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby further amends Chhattisgarh Excise Settlement of Licences for retail sale of foreign liquor (in districts Raipur, Durg, Rajnandgaon, Dhamtari and Mahasamund) rules 2001 namely :

AMENDMENT

In the said Rules :

(1) Sub rule (a) of rule 7 shall be amended as under :

(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the licensing authority shall entertain the application for this purpose daily.

2. Sub rule (d) of rule 7 shall be omitted,

3. In rule 9 (ii) the words "One Gazetted Officer of Excise Department nominated by Excise Commissioner" shall be omitted and the words "Officer nominated by the Collector" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 1150/एफ-10/227/2001/वा. क./पांच (22).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं (2) के खंड (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के (जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव,महासमुंद एवं धमतरी जिलों में) देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियम 2001 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, यथा :

संशोधन

उक्त नियमों में

1. नियम 7 (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 7 (क) स्थापित किया जावे :

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लायसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लायसेंस प्राधिकारी लायसेंस हेतु आवेदन-पत्र प्रतिदिन प्राप्त करेंगे.

2. नियम 7 (घ) विलोपित किया जाय.

3. नियम 9 (दो) में शब्द समूह ''आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी'' के स्थान पर शब्द समूह ''कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 25th June 2001

No. 1150/F-10/227/2001/CT/V (22).—In exercise of the powers conferred by clause (d) (c) (f) (g) and (h) of sub-section (1) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby further amends Chhattisgarh Excise Settlement of Licences for retail sale of country liquor (in districts Raipur, Durg, Rajnandgaon, Dhamtari and Mahasamund) rules 2001 namely :

AMENDMENT

In the said Rules :

(1) Sub rule (a) of rule 7 shall be amended as under :

(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the licensing authority shall entertain the application for this purpose daily.

2. Sub rule (d) of rule 7 shall be omitted,

3. In rule 9 (ii) the words "One Gazetted Officer of Excise Department nominated by Excise Commissioner" shall be omitted and the words "Officer nominated by the Collector" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 2792/298//2000/स्वा.—म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(2) यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक की वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि नियम, 1997.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 2793/298//2000/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2792/298/2000/स्वा. दिनांक 25-6-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

Raipur, the 25th June 2001

No. 2792/298/2000/H.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation Order 2001.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh, is hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh untill repealed or amended. Subject to the modification that throughout that in the law for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or an action (including any appointment, notification, notice,order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the law specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act (2)
1.	The Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Niyam, 1997.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. R. TONDAR, Under Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 2794/298//2000/स्वा.—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम, 1997 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्यों, जो जीवन घातक बड़े रोगों से पीड़ित हों, की चिकित्सकीय सहायता के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि" का गठन करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 2795/298//2000/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2794/298/2000/स्वा. दिनांक 25-6-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

Raipur, the 25th June 2001

No.2794/298/2000/H.—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Chhattisgarh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Niyam, 1997, the State Government hereby constitutes the "Chhattisgarh Rajya Bimari Sahayata Nidhi" to give medical assistance to such member of families living below poverty line, who are suffering from life threatening illnesses.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. R. TONDAR, Under Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 1046/ऊ.वि./2001.—भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1948 की धारा 5, सह पठित मध्यप्रदेश अधिनियम, 2000 की धारा 58 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22/ऊ.वि./2000 रायपुर दिनांक 15-11-2000 के आंशिक उपान्तरण में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. बी. एस. चौहान को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का सदस्य नियुक्त करता है.

इनकी नियुक्ति की सेवा शर्तें वही होंगी जो अन्य सदस्यों के लिये लागू होंगी.

Raipur, the 23rd June 2001

No.1046/ED/2001/.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of Indian Electricity Act, 1948 read with Sub-section 58 (4) of M. P. Re-organisation Act, 2000 and in partial modification of this department's notification No. 22/ED/2000 Raipur, dated, 15-11-2000, the State Government hereby appoints temporarily Shri S. B. S. Chauhan, as Member of Chhattisgarh State Electricity Board for one year from the date of his joining.

The terms and conditions of the appointment shall be the same as applicable to other members.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 1048/ऊ.वि./2001.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 179/ऊर्जा वि./2001, दिनांक 2-2-2001 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. उपाध्याय, सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सेवा में दिनांक 31-1-2002 तक अस्थाई रूप से वृद्धि प्रदान करता है.

नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जायेंगी.

Raipur, the 23rd June 2001

No.1048/ED/2001.—In partial modification to the State Government Notification No. 179/ED/2001, dated 2-2-2001, the State Government hereby extends the services of Shri R. K. Upadhyay, Member Chhattisgarh State Electricity Board till 31st January 2002.

The terms and condition of this appointment shall be issued separately.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

विधि, विधायी और संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2001

संशोधन

क्रमांक 3295/729/21-ब (छ.ग.) .—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 953/215/छ.ग./21-ब, दिनांक 27-2-2001 द्वारा जारी अधिसूचना की पंक्ति क्रमांक 4 एवं 6 में "शब्द जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द अपर कलेक्टर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 जून 2001

क्रमांक 4549/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	साल्हे प. ह. नं. 65	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के मुख्य नहर हेतु.

राजनांदगांव, दिनांक 19 जून 2001

क्रमांक 4550/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सिंघोला प. ह. नं. 34	0.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के नाला ट्रेनिंग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 716/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मंगचुवा प. ह. नं. 31	1.05	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 717/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मरसकोला	2.43	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 718/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भेड़ी प. ह. नं. 13	47.75	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 719/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सुरेगांव प. ह. नं. 14	33.10	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 720/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भालुकोन्हा प. ह. नं. 17	30.28	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 721/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कठिया प. ह. नं. 17	1.85	कार्यपालन यंत्री, खरखरा\ मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 722/ले.पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	केवट नवागांव प. ह. नं. 14	22.69	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4770/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प. ह. नं. 58/11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.61 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
524	0.20
531/1	0.30
537	3.60
564	0.45
571	1.64
570	3.05
569/13	0.21
569/4	0.22
569/10	0.46
569/3	0.21
575	2.00
579	2.50
582	0.37
585	1.32
588/1	2.22
590/3	1.17
597	0.02
598	1.14
532/3	0.24
535/3	0.42
535/11	0.50
527	0.80
573	1.26
559	1.00
538	1.20
565	0.70
599	1.90
569/1	0.22
569/14	0.56
569/5	0.20
569/11	0.21
569/7	0.45
594	1.40
580	1.14
583	2.29
586	0.90
590/1	0.24
590/4	1.00
532/1	0.38
535/1	0.34
535/4	0.42
530	0.20
536	0.55
572	1.27
561	1.35
567	5.60
566	3.15
569/6	0.22
569/2	0.18
569/9	0.56
569/12	0.21
569/8	0.57
803	0.50
581	0.81
584	1.08
588/2	0.93
590/2	1.90
595	0.62

(1)	(2)
532/2	0.25
535/2	0.36
535/5	0.35
योग	60.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेम्हरा जलाशय के बांधपार निर्माण एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4771/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़मुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
545/1	0.13
545/2	0.03
546	0.13
541/1	0.14
541/2	0.15
258	0.01
257	1.00
527/4	0.11
527/6	0.01
527/8	0.05
527/7	0.26
योग	2.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मनकी जलाशय की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4772/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रैंगाकठेरा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
186/1	0.15
186/2	0.10
186/3	0.18
187/1	0.07
187/2	0.23
187/3	0.18
218	0.07
249	0.09

(1)	(2)
228	0.20
255	0.12
252	0.07
253	0.09
304	0.09
305	0.08
311/1	0.07
343	0.18
312/2	0.06
313/1	0.05
314/3	0.03
315/1	0.09
563/1	0.14
563/2	0.18
652/2	0.08
652/3	0.07
653	0.05
642	0 05
651	0.07
245	0.12
638	0.04
639	0.04
643	0.04
646	0.06
556/1	0.20
636/3	0.06
556/2	0.05
561/1	0.23
562/1	0.23
637/4	0.05
637/7	0.08
योग 39	4.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मनकी जलाशय की शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4773/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-घोंघरे

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
76/1	0.83
76/2	0.11
योग 2	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मासुल-जोब जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4774/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-घोठिया, प.ह.नं. 74/53

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	5	0.25
	6	1.44
	7/7	0.21
	16/1	0.71
योग	4	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोठिया जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4775/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-छुरिया डोंगरी, प.ह.नं. 74/53

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	102	0.17
	104/2	0.16
	103/1	0.94
	103/2	0.41
	100/10	0.01
	100/11	0.12
	100/12	0.10
	100/13	0.18
	104/1	0.48
योग	9	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोठिया जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4776/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-टिपानगढ़, प.ह.नं. 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.96 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
334	0.25
335	0.06
337	0.30
345	0.40

(1)	(2)
338	0.11
369/1	0.04
339	0.06
341	0.16
342	0.16
343/2	0.38
357/1	0.12
357/3	0.02
357/4	0.12
357/5	0.03
364/2	0.30
356/1	0.13
356/2	0.38
358/1	0.30
362	0.02
363/2	0.39
364/8	0.18
370	0.65
371/1	0.09
371/2	0.14
372	0.05
382	0.31
397	0.59
384	0.26
387	0.04
386	0.04
388/2	0.16
404	0.52
358/2	0.20
योग 33	6.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोठिया जलाशय के अंतर्गत नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4777/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुहीकला, प.ह.नं. 74/53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.83 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
323	0.07
343	0.18
342	0.05
339	0.05
341	0.02
340	0.09
328	0.17
309	0.39
308/2	0.28
306	0.75
410	0.20
401/3	0.52
401/4	0.26
400	0.27
399	0.13
373/2	0.72
293/1	0.22
291	0.27
289	0.22
287	0.41
257/2	0.23
153/1	0.81
146	0.06
154	0.41

(1)	(2)
145	0.01
250	0.25
249	0.44
248/3	0.02
247/1	0.52
218/1	0.69
218/2	0.02
308/3	0.10
योग 32	8.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोठिया जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2001

क्रमांक 4778/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-केसोखैरी, प.ह.नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.62
99	0.15
122/1	0.74
8	0.56
46/2	0.54
47/1	0.38
50	0.62
51/1	0.22
123/5	0.15
51/2	0.10
52/2	0.74
52/1	0.30
123/1	0.26
123/2	0.25
123/6	0.05
124	0.81
121/1	0.06
121/2	0.43
46/6	0.48
122/2	0.35
योग 20	7.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोठिया जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2001

क्रमांक 5217/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
38/1	1.13
योग 1	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मनकी-तोरनकट्टा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2001

क्रमांक 5218/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-इंदावानी, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	121	0.42
योग	1	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—टेड़ेसरा-मुढ़ीपार-कलडबरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2001

क्रमांक 5371/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-चारभाठा, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.46 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
464/3	0.03
464/13	0.17
454/1	0.02
459/2	0.70
434/1	0.01
436/5	0.07
418/2	0.20
409/1	0.03
413/1	0.07
388/3	0.15
397	0.04
395	0.06
244	0.02
398/1	0.02
236/1	0.09
235	0.05
230/8	0.15
228	0.50
464/7	0.40
464/11	0.05
456/1	0.13
455/2	0.09
433	0.04
436/1	0.09
418/18	0.14
409/2	0.02
411/2	0.05
388/2	0.09
394/2	0.02
393/1	0.12
247	0.05
251/1	0.06
236/2	0.02
230/1	0.12
231/1	0.09
535/1	0.15

(1)	(2)
464/9	0.10
464/12	0.10
459/1	0.04
455/3	0.05
435	0.10
430/3	0.22
455/1	0.13
409/3	0.05
412	0.08
402	0.02
394/3	0.04
249	0.03
246	0.02
251/2	0.02
237	0.02
541	0.12
231/2	0.04
226	0.28
222	0.12
220/2	0.07
172/5	0.50
418/8	0.11
464/1	0.39
103	0.08
29/2	0.03
85/2	0.18
456/2	0.18
	0.02
455/3	0.22
473	0.18
63	0.15
49	0.05
44	0.14
12	0.05
36	0.11
10	0.03
87	0.17
11/1	0.15
102/1	0.02
482/5	0.30
96	0.03
434/2	0.07
221	0.12
208	0.08
179/2	0.02
[illegible]/16	0.24

(1)	(2)
28	0.13
464/6	0.07
31	0.10
458	0.54
98	0.12
455/1	0.24
86	0.06
61	0.25
65	0.16
53	0.10
38	0.15
45	0.07
42/2	0.09
13/2	0.03
91	0.23
85/1	0.01
102/2	0.08
482/3	0.02
418/20	0.14
220/1	0.07
207/2	0.29
418/5	0.14
470/2	0.03
470/1	0.40
90/2	0.18
474	0.18
469/2	0.25
455/2	0.20
472	0.36
62	0.18
54	0.10
52	0.12
39	0.01
43	0.20
37	0.07
30	0.09
104	0.34
85/3	0.01
97	0.14
482/4	0.05
418/9	0.08
योग	15.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चारभाठा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2001

क्रमांक 5372/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोदरी, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
133/8	0.55
141/1	0.64
134/1	0.05
144/1	1.19
135	0.39
146/3	1.01
136/1	0.39
योग	4.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अन्तर्गत नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जुलाई 2001

क्रमांक 30/सा.-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोशला, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
899/3 898/2	0.142
899/2	0.121
899/1 898/1	0.214
योग	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भंवतरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 23 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प. ह. नं. 51.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-157.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1579	2.02
1580	1.40
1613	0.62
1583	0.20
1589	0.44
1617	0.13
1585	0.76
1685	1.30
1586	0.54
1593	1.58
1587/1	0.19
1587/2	0.19
1587/3	0.19
1587/4	0.18
1589	0.44
1595	0.62
1596/2	0.20
1621/2	0.12
1596/3	0.20
1621/3	0.12
1596/1	0.20
1621/1	0.12
1781	1.14
1784/1	0.18
1784/2	0.18
1784/3	0.18
1784/4	0.18
1786	0.40
1788	0.81
1790	0.82
1791	0.82
1792	0.82
1794	0.81
1803	0.81
1645	2.02
1671	1.23
1678	0.03
1752	0.43
1646	1.16
1731	1.02
1581	1.08
1582	0.64
1584	2.01
1590	0.42
1596/4	0.20
1621/4	0.12
1599/1	0.21
1600	0.20
1602	0.43
1608	0.34
1603	0.20
1742	0.18
1605	0.13
1607	0.61
1609	1.01
1614	4.05
1615	2.02
1620/1	0.43
1726	0.21
1620/2	0.42
1709/1	0.21
1723	1.21
1626	2.02
1624	0.21
1627	0.13
1628	0.02
1680	0.70
1649	2.02

(1)	(2)
1650	2.01
1651	2.02
1665	0.61
1684	0.29
1735	0.16
1666	0.81
1670	0.21
1675	1.78
1676	1.30
1677	1.04
1679	0.37
1681	1.17
1720	0.55
1682	1.15
1691	1.62
1693	0.81
1694	1.32
1695	2.08
1697	0.97
1591	0.07
1598	0.30
1592	0.81
1597	0.57
1601/1	0.34
1601/2	0.20
1604	0.14
1606	0.05
1610	0.81
1618	0.40
1611	2.43
1612	2.00
1616	1.46
1622	0.21
1704	2.96
1625	2.02
1630	2.02
1647	1.21
1648	2.02
1667	1.36
1688	0.46
1668	1.22
1674	0.91
1686	1.03
1687	0.89
1696	1.22
1698	2.02
1699	0.56
1700	0.81
1705	2.30
1710	1.76
1712	0.93
1719	0.58
1721	0.06
1728	0.24
1734	0.27
1723	0.53
1724	0.50
1732	1.06
1737	1.12
1743	0.79
1744	0.85
1745	0.81
1715	0.12
1701	0.28
1702	1.43
1729	0.06
1733	0.19
1736	0.16
1703	1.94
1707	0.09
1709	0.37
1709/2	0.09
1716	0.15
1770	0.07
1775	0.61
1722	1.16
1725	0.61
1727/1	0.28
1727/2	0.37
1727/3	0.38
1730	0.89
1739	0.81
1740	1.66
1754	2.03
1718	0.33
1771	0.40
1773	0.90
1746	0.84
1747	2.02
1748	1.21

(1)	(2)
1749	2.02
1753	2.02
1755	2.02
1776	1.58
1777/1	0.18
1800	1.28
1777/2	0.52
1777/3	0.40
1778	1.19
1780	2.94
1783	0.88
1793	0.81
1796	2.02
1797	2.08
1798	0.61
1799	1.21
1816	1.62
1818	1.79
1844	0.97
1843	1.62
योग	157.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बस्तर जिला अथवा मुख्य अधिशासी, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, बचेली, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुरी, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-62.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.98
15/1	0.10
7/2	0.97
15/2	0.10
1/1	0.09
1/2	0.09
2/1	0.70
2/2	0.50
2/3	0.41
2/4	0.43
10	0.43
16	0.30
11	0.81
13/1	0.37
13/2	0.36
17/1	1.08
17/2	0.41
21	1.35
36	0.62
56	0.09
63	0.40
31	0.76
80	0.26
32/1	0.40
32/2	0.47
33	0.58
34/1	0.22
34/2	0.21
33	1.04
38	0.40
39	1.04
40	0.50
41	0.75
42	0.51
44	0.97
45/1	0.10

(1)	(2)
45/3	0.09
45/4	0.09
45/5	0.09
45/2	0.37
48	0.81
58	0.40
43	0.40
47	2.67
49	0.10
50	1.21
51	0.81
52	0.12
54	0.10
55	1.21
57	1.21
59	0.47
65	1.20
61	0.81
64	0.57
67	1.21
73	0.81
201	0.69
3	0.13
18	0.61
4	0.91
37	0.51
5	0.50
6	0.24
8	0.24
9	0.83
20/2	0.20
12	0.47
20/1	1.25
24/1	0.14
24/2	0.20
25	0.74
26	0.51
27	0.34
28	0.23
29	0.35
30	0.36
53	0.49
62	0.81
66	0.81
68	0.81
69/1	0.13
204/1	0.41
69/2	0.13
204/2	0.41
69/3	0.13
203	0.80
204/3	0.41
70	0.81
71	0.81
72	0.81
74	0.80
75	0.81
76	0.81
77	0.81
78	0.81
79	0.81
81	0.79
200	1.19
202	0.61
205	0.81
207	0.10
208/1	0.13
209/1	0.17
208/2	0.14
209/2	0.17
208/3	0.13
209/3	0.16
14	1.50
19/2	0.51
19/1	0.50
योग	62.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बस्तर जिला अथवा मुख्य अधिशासी, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, बचेली, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोकावाड़ा, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-04.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	02.33
6	01.32
7	00.53
योग	04.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बस्तर जिला अथवा मुख्य अधिशासी, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, बचेली, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमागुड़ा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-43.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148	1.55
222	0.17
236	0.52
147	1.50
182	0.38
238	0.60
184	0.33
205	0.86
211	0.28
185	0.41
203	0.32
208	0.40
212	0.26
217	0.11
186	0.60
187	1.12
188	0.44
191	0.53
189	0.63
192	0.46
162	0.24
228	0.10
132	0.65
235	0.17
131	0.22
133	0.49
134	1.53
135	0.72
136	0.09
140	0.44
168	0.40
139	0.35
167	0.43
141	0.93
160	0.16
170	0.46

(1)	(2)
161/1	1.46
161/2	0.40
169	2.91
171	0.47
172	2.17
194	0.40
193	0.51
197	0.32
196	0.40
202	0.30
204	0.65
214	0.13
215	0.39
206	0.96
210	0.33
213	0.10
207	0.97
209	0.33
190	0.83
216	0.21
219	0.20
218	0.15
223	0.24
227	1.20
198	0.52
201	0.62
221	0.16
199/1	0.09
199/2	0.09
199/3	0.09
199/4	0.09
199/5	0.08
288	0.81
220	0.20
165	0.42
163	0.29
166	1.10
164	0.48
174	0.60
195	1.90
योग	43.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बस्तर जिला अथवा मुख्य अधिशासी, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, बचेली, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मंगनपुर, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
257	0.96

(1)	(2)
248	0.26
256	0.61
260	0.08
40	0.83
264	4.84
267	3.06
41	1.15
258	0.38
262	0.41
42	0.42
43	0.32
247	0.25
249	0.35
265	0.79
250	0.29
253	0.28
255	0.18
251	0.29
252	0.45
254/1	0.50
254/1	0.40
259	0.93
261	0.32
268	1.89
266	0.87
योग	25.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन. एम. डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बस्तर जिला अथवा मुख्य अधिशासी, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, बचेली, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 28 मई 2001

क्रमांक 02/1/अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1994 (क्रमांक सात, सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिरमिरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
169/2	0.02
169/3	0.01
169/4	0.06
169/5	0.01
169/6	0.01
योग	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कुरासिया माइनिंग लीज अन्तर्गत, ओपन कास्ट कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

महासमुन्द, दिनांक 25 जून 2001

क्रमांक 3981/क/वि. वि. कार्य/2001.—मध्यप्रदेश शासन कार्य नियमों के भाग एक के नियम-6 ख के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 तथा विधि विभाग नियमावली के नियम 17 एवं 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा माननीय अध्यक्ष, जिला योजना समिति अर्थात् शासन द्वारा नामांकित मंत्री के अनुमोदन से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 397/क/वि.वि./कार्य/2000, महासमुन्द दिनांक 1-6-2000 की निरन्तरता में श्री ए. के. पाण्डेय, लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक, महासमुन्द राजस्व जिला के कार्यकाल में दिनांक 10-4-2002 तक के लिये एक वर्ष की वृद्धि की जाती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.